



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमांक के०रा०फा०/सूरत/उद्यान/14/2018-19

दिनांक: 14.08.2018

—:निविदा—सूचना:—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के विशिष्ट संतति उद्यान के खण्ड-3 (भगवानसर बस अड्डे के पास) में वर्ष 2018-19 में पौध तैयार करने हेतु फार्म मुख्यालय में खुली बोली दिनांक 29.08.2018 को दोपहर 3.00 बजे की जायेगी। खुली बोली में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड”, सूरतगढ़ के नाम देय हो को फार्म खजांची के पास जमा करवाना होगा। कार्य का विवरण निम्नवत है—

क्रम सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य	धरोहर राशि(रुपये में)
1	नर्सरी के अंदर क्यारी तैयार करना, स्वयं की जट्टी खट्टी जिसकी संख्या लगभग 45000, को लाकर लगाना, उसकी देखभाल करना जिसके अंतर्गत निराई, गुड़ाई, सिंचाई और स्प्रे करवाना रहेगा और तैयार जट्टी खट्टी पौधे पर बडिंग करके 6 इंच के पौधे तैयार करके देना	30000 पौधे	20000
2	फार्म में उपलब्ध बांस के पौधों में से कटिंग तैयार करना और कटिंग को लगाकर 200000 पौधे तैयार करके देना	200000 पौधे	

कार्य की नियम व शर्तें बोली के दिन पढ़कर सुना दी जावेगी। बिना डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा किये कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है।

भवदीय

(उद्यान अधिकारी)  
कृते निदेशक

Tender Summary		
S. No.	Required Information	To be filled by tender inviting office
1.	File No.:-	क्रमांक के.रा.फा./सूरत./उधान/14/2018-19
2.	Date of publishing (in News Paper):-	
3.	Date of publishing on CPP:-	
4.	CPP Generated tender ID:-	
5.	Date of tender publishing on e-procurement (only in case of e-tender)	
6.	Date & Time of email tender document to HO, for publishing on NSC Website:-	19-08-2018
7.	Tender Description (in English):-	Propagation of Citrus Plants
8.	Tender submission last date & time:-	29.08.2018 & 2.00 pm
9.	Tender issued by (approving authority Name and Designation):-	Director Central State Farm Suratgarh



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

क्रमांक के०रा०फा०/सूरत/उद्यान/14/2018-19

दिनांक: 14.08.2018

**पौधे लगाने के कार्य हेतु नियम व शर्तें:-**

1. ठेकेदार को बोल देने से पूर्व रु 20000/- (रु बीस हजार मात्र ) धरोहर राशि के रूप में पूर्ण हस्ताक्षर सहित फार्म खंजाची के पास डिमांड ड्राफ्ट जो की एनएससी लिमिटेड, सूरतगढ़ को जमा करवाना होगा। असफल बोलीदाता निविदादाता की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर चेक द्वारा लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि ठेका पूर्ण व संतोषजनक होने पर लौटा दी जाएगी, फार्म इस पर कोई ब्याज नहीं देगा।
2. वर्ष 2018-19 के लिए 30000 व वर्ष 2019-2020 के लिए 30000 माल्टा, मोसम्बी व किन्नौ के पौधे फार्म के जमीन में जट्टी खट्टी का मूलवृत्त लगाकर /बडिंग/डिसबडिंग करके तैयार करने होंगे। बोली का रेट प्रति पौधे के हिसाब से देना होगा।
3. माल्टा, मोसम्बी, किन्नौ के तैयार पौधों की गिनती यूनियन पॉइंट से कम से कम 9 इंच की ऊंचाई पर की जाएगी।
4. पौध प्रसारण हेतु आवश्यक साधन सामग्री जैसे पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन सीट, खाद, बीज, कीटनाशक आदि फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे।
5. बडिंग निम्बू वर्गीय 70 प्रतिशत कम से कम मान्य होगी। बडिंग से सम्बंधित सभी औजार जैसे-चाकू, कैंची, व खुरपी इत्यादि ठेकेदार को लाने होंगे।
6. आवश्यकतानुसार नर्सरी मे किये जाने वाले सभी कार्य जैसे बडिंग, डिसबडिंग, दिहेडिंग, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, स्प्रे आदि समय समय पर ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। कीटनाशक व अन्य रसायन फार्म द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे।
7. ठेकेदार को फार्म के निर्देशनुसार फार्म के पौधों से बड-स्टिक रोगमुक्त खुद काटकर लानी होगी।
8. खट्टी पर बडिंग का कार्य जुलाई दूसरे सप्ताह से अक्टूबर तक अवश्य रूप से पूरा करना होगा। यदि यह कार्य अक्टूबर तक पूरा नहीं किया जा सका तो इसे फरवरी और मार्च में भी पूरा किया जा सकता है। कार्य की मात्रा घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
9. किसी प्राकृतिक नुकसान के लिए ठेकेदार खुद जिम्मेदार होगा। फार्म उन्ही पौधों का भुगतान करेगा जो अंतिम गिनती के समय भौतिक रूप से उपलब्ध होंगे। इस कार्य हेतु जो भी अग्रिम भुगतान किया जायेगा उसी अंतिम रूप से संयोजित किया जायेगा।
10. निम्बू वर्गीय पौधों की अंतिम गिनती अक्टूबर 2019/ मार्च 2020 में की जाएगी, यदि पौधें इससे पहले तैयार हो जाते हैं तो गिनती पहले भी की जा सकती है।
11. पौधों की बडिंग से पहले फार्म की जमीन पर बड लायक रुट स्टॉक (जट्टी- खट्टी) तैयार होने पर 10 प्रतिशत एवं बडिंग का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के बाद 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जायेगा। शेष 65 प्रतिशत का भुगतान तैयार पौधों की अंतिम गिनती के बाद किया जायेगा। भुगतान से पहले पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
12. कार्य आदेश मिलने के 15 दिन अंदर एक सौ रुपये का स्टाम्प पर अनुबंध देना होगा। स्टाम्प पेपर का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

शेष पृष्ठ सं ....२...पर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-“मिनी रत्न” कंपनी)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

जिला: श्री गंगानगर(राज.)

फोन: 01509-220006, 220084, 223877(ऑफिस)

फैक्स: 01509-220068, 223877(ऑफिस)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-“MINI RATNA” Company)

CENTRAL STATE FARM, SURATGARH

Dist.: Shri Ganganagar (Raj.)

Phone: 01509-220006, 220084, 223877(Office)

Fax: 01509-220068, 223877(Office)

13. निदेशक, केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को पूर्ण अधिकार होगा की बिना करना बताये बोली को स्वीकृत या निरस्त कर सकते हैं।
14. ठेकेदार फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा। यदि ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा फार्म संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जाएगी। कार्य करते समय ठेकेदार के श्रमिक को की जनहानि होती है तो इसके लिए ठेकेदार स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
15. कार्य अधूरा छोड़ने पर यह कार्य दूसरे ठेकेदार से करा लिया जायेगा। अगर इस पर फार्म को कोई हानि होती है तो यह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जाएगी। साथ ही धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी एवं किये गए कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. यदि किसी प्रकार का टैक्स लगता है तो ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
17. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल अर्बिटेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एण्ड कांसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत करायें पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
18. आर्बिट्रेशन एण्ड कांसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार सूरतगढ़ की परिधि से सम्बंधित होगा।

भवदीय

(उद्यान अधिकारी)